राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4436/2022

झाबर सिंह

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फूटाला, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.11.2022

<u>उपस्थित –</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फुटाला, सीकर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नं. 5 छापर, चूरू में किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी ह्दय रोग से पीड़ित है और अपीलार्थी का नियमित ईलाज चल रहा है। अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापित स्थान के निकट पद रिक्त है, ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण अन्य जिले में किया जाना उचित नहीं है।
3. हमनें विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।
4. जहां तक अपीलार्थी के स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, केवल इस आधार पर अपीलार्थी स्थानान्तरण आदेश को निरस्त कराने का अधिकारी नहीं होता है। अपीलार्थी अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अपनी व्यक्तिगत

समस्याओं का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

5. स्थानान्तरण सेवा का एक भाग है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है। अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर वर्ष 2017 से पदस्थापित है। पर्याप्त समय के पश्चात अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया है। ऐसी स्थिति में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की नियम एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

7. आदेश आज दिनांक 02.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस. काला) सदस्य	(अनन्त भंडारी) सदस्य (न्यायिक)